

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1713]

No. 1713]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आषाढ़ 31, 1935

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASADHA 31, 1935

## सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ. 2225(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 994 (अ), तारीख 04.05.2011 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—6 के 498.000 किमी से 544.200 कि.मी (नागपुर—वैनगंगा ब्रिज सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है:

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 18.04.2011 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु. मैसर्स वैनगंगा एक्सप्रेसचे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए—104,शाहपथ—4 कर्णावती क्लब के सामने एस.जी रोड—अहमदाबाद—380051 में हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 498.000 किमी से 544.200 कि.मी तक नागपुर—वैनगंगा ब्रिज सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) का चार लेन की सड़क में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु 21.08.2011 को करार किया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त करार' संदर्भित किया गया है) !

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राज्वामं शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, के नियम 3, और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन नियम, 2010 दिनांक 03-12-2010 और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन नियम, 2011, दिनांक 12-01-2011 राजमार्ग के उत्तर खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, पर हुए य्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, अधिसूचित करती है कि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 498.000 किमी से 544.200 कि.मी तक के वा अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात 'आधार दर' प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से लथा प्राधिकरण से सामापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, का संग्रहीत और प्राधिकृत करती हैं:

-	- 10	 ١

4144			
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 200708 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)		
(1)	(2)		
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65		
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05		
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20		
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक याहन	2.40		
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी ख़ाँदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45		
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20		

1 नीचे उदग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्निलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (वैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
523.400 किमी (डिजाइन चैनेज) नागपुर जिले के मधानी गांव के पास)	45.43

- 2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
- 3 राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्मिलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे. अर्थातः—

अनुंशात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम् संस्था	विधिमान्यता की अवधि
दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे संदाय की तारीख से एक माह
· ·	तदाय का ताराख स एक माह
_	अधिकतम् संख्या दो पचास या अधिक

- 4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है, उस जिले में पजीकृत याणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
- 5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुङ्गिय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
- 7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. जपर सारणी 1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना राजमार्ग परियोजना की लंबाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी और स्थानीय माषा के कम—से—कम एक—एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गये संशोधन की तारीख से छह मास की अविध के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[सं भाराराष्ट्रा / 13013 / 670 / सीओ / 13-14 / जीसी नागपुर-वैनगंगा ब्रिज (498.000-544.200) बीओटी] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2013

S.O. 2225(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 994 (E), dated 04.05.2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 498.000 to kilometer 544.200 (Nagpur – Wainganga Bridge section) of National Highways No. 6 in the State of Maharastra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 21.06.2011 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Wainganga Expressway Private Limited having its registered office at A-104, Shapath-4, Opp. Karnavati Club, S.G.Road, Ahmedabad - 380051 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 18.04.2011 for the development of Nagpur - Wainganga Bridge section from Km 498.000 to Km 544.200 on National Highway No. 6 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and with NH Amendment Rule, 2010 dated 03.12.2010 and NH Amendment Rule, 2011 dated 12.01.2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the section from Km.498.000 to Km. 544.200 (Nagpur-Wainganga Bridge) of National Highway No. 6, in the State of Maharastra at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 45.430 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08	
	(in Rupees)	
(1)	(2)	
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle		
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	0.65	
Description Vehicle of Mini Bus	1.05	
Bus or Truck (Two Axles)	2.20	
Three-axle commercial vehicles	<u> </u>	
Heavy Construction Machinery (UCA)	2.40	
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	<u> </u>	
	4.20	

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	
Km. 523.400 (Design Chainage)	45.43	
Near Mathani village in Nagpur district		

- 2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- 4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
- 7. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
- 8. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the immediately preceding determination of fee.

[No. NHAI/13013/670/CO/13-14/GC Nagpur-Wainganga Bridge (498.000-544.200) BOT ]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.